राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
8251

क्रमांक :– प.22(250) परि/प्रवर्तन/रिट/2015/ जयपुर, दिनांक :– 13/5/15

कार्यालय आदेश सं. 13/2015

विषय :– निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन बिना ढके नहीं किये जाने के संबंध में।

प्रायः यह देखने में आया है कि भार वाहनों द्वारा रेत, बजरी, कचरा व अन्य ऐसी निर्माण सामग्री का परिवहन किया जाता है, जिसको बिना ढके अथवा भार क्षमता से अधिक भर दिये जाने के परिणामस्वरुप माल के गन्तव्य तक जाते समय सड़क पर गिरकर फैलता/उड़ता रहता है, जिससे जहां एक ओर गन्दगी फैलकर वातावरण को प्रदूषित कर नागरिकों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर अनेक वाहन भी परिवहन के समय फैली इस बजरी, मिट्टी एवं कचरा आदि से फिसलकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 7.41 में इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भार वाहन के बॉडी विनिर्माण एवं भार रखे जाने वाले प्लेटफार्म के संबंध में प्रावधान समाविष्य है, जिसके अंतर्गत भार वाहनों की बॉडी इस प्रकार बनी होनी चाहिये कि उसमें रखी जाने वाली सामग्री ऐसे यान की बॉडी के अन्दर इस प्रकार सुरक्षित रखी जावे, जिससे कि सामग्री ऐसे यान से बाहर गिरकर सड़क प्रयोग करने एवं आसपास के निवासियों के स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाये एवं यातायात को बाधित करने के साथ–साथ दुर्घटना का कारण भी न बने। उक्त उल्लेखित सामग्री का परिवहन करते समय वर्णित नियम की पालना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी सामग्री का समुचित रुप से ढका जाना अत्यावश्यक है।

माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया, एप्लीकेशन नं. 21/2014 के क्रम में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में सभी तरह की निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन बिना ढके नहीं किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया गया है :–

1. "All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever."

2. "The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material."

इसी क्रम में पूर्व में विभागीय कार्यालय आदेश सं. 77/2003 दिनांक 20.11.2003 द्वारा भी निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन बिना ढके नहीं किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था।

अतः इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं राजस्थान मोटर वाहन नियमों की पालना में बिना ढके निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का परिवहन अनुमत नहीं किया जावे। साथ ही निर्माण सामग्री परिवहन के पश्चात् वाहन को सही तरीके से सफाई के उपरान्त ही वाहन का संचालन किया जावे। उक्त निर्देशों की अवहेलना कर संचालित भार वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं तत्सम्मत् नियमों के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

माननीय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना हेतु वाहन चालकों/स्वामियों, ट्रांसपोर्ट कम्पनियों एवं लीज धारकों में निर्माण सामग्री और मलबा/कचरा का ढक कर एवं सुरक्षित परिवहन किये जाने का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(गायत्री राठौड़)
8252-65 **परिवहन आयुक्त एवं**
शासन सचिव

क्रमांक :– प.22(250) परि/प्रवर्तन/रिट/2015/ जयपुर, दिनांक :– 13/5/15

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
8. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
9. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
10. सहायक विधि परामर्शी।
11. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
12. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (प्रवर्तन)।
13. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
14. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)